



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर जान से मारने की धमकी देने एवं एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹11,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 290/2022 धारा- 376,450,323,506 भा0द0सं0 व 3(2)5,3(1)द एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. किशन यादव पुत्र गनेश यादव निवासी रमेड़ी डांडा थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को धारा-452,323,506 भा0द0सं0 व 3(2)5, एससीएसटी एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹11,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
विशेष लोक अभियोजक
श्री विजय सिंह



विवेचक-
सीओ रविप्रकाश



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का0 बिजमान सिंह